समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

थानाध्यक्ष, पुरैनी के ज्ञापांक 286/14 दिनांक 22-03-2014 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री प्रभू दयाल राम पे0 श्री माली राम, सा0 पुरैनी थाना पुरैनी जिला मधेपुरा करीब 15-16 वर्षो से उड़ीसा में रह रहे हैं एवं इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-01/82(चौसा थाना) पर धारित दो नाली बन्दूक सं0-1614 मधेपुरा थाना मालखाना में जमा है। इनके अनुज्ञप्ति को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

लोक सभा आम चुनाव-2014 को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने हेतु आम सूचना जारी की गई थी। अंचल अधिकारी/ थानाध्यक्ष, चौसा के पत्रांक 118-2 दिनांक 19-03-14 एवं अं0अ0/ थानाध्यक्ष, पुरैनी के संयुक्त प्रतिवेदन पत्रांक 134-2 दिनांक 19-03-14 के द्वारा प्रेषित संयुक्त प्रतिवेदन सूची में वर्णित अनुज्ञप्तिधारी का नाम अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि श्री प्रभू दयाल राम द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। थानाध्यक्ष, पुरैनी के प्रतिवेदनानुसार इनका शस्त्र मधेपुरा थाना मालखाना में जमा है, जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति प्राधिकार से अनुमति नहीं प्राप्त की है। इससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने कई वर्षो से अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण भी नहीं कराए होंगे। यह घोर लापरवाही, मनमानेपन, अनुज्ञप्ति की शर्त्त एवं अनुज्ञप्ति प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

अतएव शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए श्री प्रभू दयाल राम पे0 श्री माली राम, सा0 पुरैनी थाना पुरैनी जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत **दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति** सं0-01/82(चौसा थाना) को तत्कालिक प्रभाव से **"निलंबित"** किया जाता है एवं धारा-21 के तहत पूर्व से मधेपुरा थाना मालखाना में जमा **दो नाली बन्दूक सं0-1614** को सुरक्षित जमा रखने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। अनुज्ञप्तिधारी को आदेश दिया जाता है कि वे उल्लेखित आरोप के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं इस कृत्य के लिए उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाय। स्पष्टीकरण के साथ मूल अनुज्ञप्ति पुस्त भी जिला शस्त्र शाखा में जमा करेंगे।

थानाध्यक्ष, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे किसी भी परिस्थिति में बिना अनुज्ञप्ति प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किए श्री राम के पारिवारिक सदस्य को शस्त्र हस्तगत नहीं करायेंगे। चूँकि अनुज्ञप्तिधारी के उड़ीसा में रहने का पता उपलब्ध नहीं है, इसलिए थानाध्यक्ष, चौसा/ पुरैनी को आदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से श्री राम के पारिवारिक सदस्य को उक्त आदेश की एक प्रति उपलब्ध करायेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में **"निलंबित"** प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 235 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 26-4-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा/ चौसा/ पुरैनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री प्रभू दयाल राम पे0 श्री माली राम, सा0 पुरैनी थाना पुरैनी जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

26/04/14

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।